न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

द्वितीय अपील संख्या–60/2013–14 अन्तर्गत धारा–331 भू0रा0अधि0

अतरसिंह पुत्र, शंकरसिंह, निवासी–ग्राम रावली, महदूद, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार।

बनाम

1– उत्तराखण्ड सरकार ,2. ग्राम सभा सलेमपुर महदूद परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार।

उपस्थित	:	श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।
अधिवक्ता अपीलार्थी	:	श्री प्रेमचन्द्र शर्मा।
अधिवक्ता राज्य सरकार	:	श्री विनोद कुमार डिमरी जिला शासकीय अधिवक्ता।

निर्णय

यह द्वितीय अपील अपीलकर्ता उपरोक्त ने अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल मण्डल के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील संख्या–03/12–13 अतर सिंह बनाम उत्तरांचल सरकार आदि अन्तर्गत धारा–331 ज0वि0अधि0 में पारित निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 11–09–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

इस द्वितीय अपील की संक्षिप्त पृष्ठभूमि इस प्रकार हैः–

अपीलार्थी/वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा–122बी 4एफ एवं 229बी जं0वि0अधि0 बावत भूमि खसरा संख्या–1319क क्षेत्रफल 0.600हे0 स्थित ग्राम सलेमपुर महदूद, परगना रूड़की तहसील व जिला हरिद्वार के सम्बन्ध में सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी हरिद्वार के समक्ष दिनांक 02–03–2005 को इस आशय से प्रस्तुत किया कि वह वादग्रस्त भूमि पर 35 वर्षों से काबिज काश्त चला आ रहा है, कि वह जाति से अनुसूचित जाति एवं भूमिहीन खेतीहर मजदूर है, कि उसके पास वादग्रस्त भूमि के अतिरिक्त कोई भूमि नही है, कि लेखपाल ने वादी के विरूद्ध धारा–122बी योजित किया, जिससे वादी के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित हुआ एवं बावजूद बेदखली आदेश के उसे मौके से बेदखल नही किया गया व बदस्तूर मौके पर काबिज चला आ रहा है अतः लगातार 35 वर्षों से काबिज काश्त होने के कारण उसे वादग्रस्त भूमि का असंक्रमणीय भूमिधर घोषित किया जाए यदि असंक्रमणीय भूमिधर घोषित किया जाना मुनासिब नही हो तो आसामी भूमिधर घोषित कर तद्नुसार उसके नाम अमल दरामद कराया जाए।

विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी हरिद्वार ने वाद दर्ज कर विधिवत पक्षकारों को सुनने के उपरान्त निगरानीकर्ता/वादी का वाद, वाद में विरचित महत्वूपर्ण विवादयक यथा वादी का वादग्रस्त भूमि में 30 जून, 1975, 30 जून, 1985 एवं 03 जून, 1995 से पूर्व कब्जा होने के कारण वह 122बी 4एफ का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है? वादी ने ग्राम सभा एवं राज्य सरकार को विधिवत नोटिस दिये है, क्या वाद में आदेश–7 नियम–11ई से बाधक है?, एवं क्या वाद धारा–49 जोत चकबन्दी अधिनियम से बाधित है?, में से मात्र एक विवादयक कि वादी द्वारा ग्राम सभा एवं राज्य सरकार को विधिवत नोटिस जारी किया गया है, वादी के पक्ष में एवं अन्य विवादयक उसके विरूद्ध निर्णीत कर आलोच्य वाद निर्णयादेश दिनांक 29–03–2007 से निरस्त कर दिया।

विद्वान सहायक कलेक्टर के आदेश दिनांक 29–03–2007 के विरूद्ध अपीलकर्ता/वादी ने प्रथम अपील अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जिसे विधिवत सुनवाई के उपरान्त विद्वान अपर आयुक्त ने यह पाते हुए कि अपीलकर्ता/वादी भूमि पर अपना कब्जा 03 जून, 1995 के पूर्व से साबित करने में असफल रहा है व वाद धारा–49 चकबन्दी अधिनियम से भी बाधित है, निर्णयादेश दिनांक 11–09–2013 से उक्त अपील निरस्त कर दी। इसी निर्णयादेश के विरूद्ध वर्तमान द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

द्वितीय अपीलीय ज्ञाप में अपीलकर्ता द्वारा निम्न विधि के सारभूत प्रश्न विरचित किये हैः–

1– क्या जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–212 के अतिरिक्त कोई अन्य परिभाषा सार्वजनिक भूमि के बारे में दी गई है?

2– क्या धारा–122बी 4च में दिनांक 21–06–2002 को उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–11 वर्ष 2002 द्वारा 03 जून, 1995 के स्थान पर 21–06–2002 अंकित होने से अपीलार्थी को कोई लाभ अर्जित नही होता?

3– क्या उक्त संशोधन उत्तराखण्ड राज्य में लागू नही होते जो उत्तराखण्ड बनने के दो वर्ष के अन्दर–अन्दर लागू हो गये थे और जिसे दो वर्ष की अवधि के अन्दर–अन्दर उत्तराखण्ड सरकार द्वारा गृहित कर लिया गया है?,

4– क्या जिलाधिकारी, हरिद्वार के आदेश दिनांक 16–12–10 जिसमें अपीलार्थी का अधिपत्य विवादित भूमि पर 03 जून, 1995 से बहुत पहले का माना गया है को अपीलीय न्यायालय अस्वीकार कर सकती है ?,

5– क्या धारा–122बी 4एफ में अनुसूचित जाति के भूमिहीन खेतीहर मजदूर को जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–49 से वंचित किया जा सकता है?

इन सारभूत विधिक प्रश्नों को इस द्वितीय अपील के निस्तारणार्थ अंगीकृत किया गया।

मैंने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्तागण एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व की बहस को सुना एवं अभिलेखों का सम्यक अवलोकन किया।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क है कि वादग्रस्त भूमि दो फसली भूमि है एवं 'खाला' भूमि पूर्व में आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के द्वारा निस्तारित प्रकरण में सार्वजनिक उपयोग की भूमि नही मानी गई है, कि वादग्रस्त भूमि धारा–212 जं0वि0अधि0 से आच्छादित है न कि धारा–132 से, कि धारा–122बी 4एफ जं0वि0अधि0 के लाभ हेतु अपीलकर्ता का वर्ष 2002 तक कब्जा साबित है एवं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम में 'उत्तराखण्ड राज्य बनने के उपरान्त के समस्त संशोधन धारा–84 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत लागू है जो राज्य बनने के दो वर्ष के अन्तर्गत अधिनियमित है, कि उत्तर प्रदेश में धारा–122बी 4 एफ के लाभ हेतु नियत तिथि वर्ष 2007 तक बढ़ायी गई है एवं कि गांव में जब चकबन्दी हुई तब तक अपीलकर्ता के अधिकार परिपक्व नही हुये थे अतः मूलवाद में धारा–49 जोत चकबन्दी अधिनियम की वर्जना/बाधा लागू होने का कोई प्रश्न नही उठता है। दूसरी ओर जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व ने तर्क किया है कि वादग्रस्त भूमि धारा–132 के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिसके सम्बन्ध में धारा–122बी 4 एफ जमींदारी विनाश अधिनियम के लाभ नही प्राप्त हो सकते है एवं मूलवाद धारा–49 जोत चकबन्दी अधिनियम से बाधित है।

मूलवाद में वादग्रस्त भूमि में असंक्रमणीय अधिकार की घोषणा की प्रार्थना वादी/अपीलकर्ता के वादग्रस्त भूमि में 03 जून, 1995 से पूर्व से उसपर काबिज होने के आधार पर की गई। यह स्वीकार्य है कि चकबन्दी की प्रक्रिया संबधित गांव में 1995 से पूर्व सम्पन्न हुई। स्पष्ट है वादकारण (cause of action) जून, 1995 में अथवा उसके पश्चात उत्पन्न होने के दृष्टिगत वादी/अपीलकर्ता चकबन्दी प्रक्रिया की अवधि में चकबन्दी प्राधिकारियों के समक्ष स्वयं के असंक्रमणीय भूमिधर होने के आधार पर अनुतोष की मांग नहीं कर सकता था क्योंकि तत्समय स्वीकार्य रूप से वादकारण उत्पन्न ही नही हुआ था। धारा–49 जोत चकबन्दी अधिनियम की वर्जना/बाधा उसी स्थिति में लागू होती है जबकि कोई वाद कारण कार्यवाही चकबन्दी की अवधि तक अथवा चकबन्दी की अवधि में उत्पन्न हो चुका हो। अतः दोंनो अधीनस्थ न्यायालयों का मूलवाद धारा–49 जोत चकबन्दी अधिनियम से बाधित होने सम्बन्धी निष्कर्ष एवं निर्णय विधिसम्मत नही है।

वादग्रस्त भूमि वादपत्र के साथ संलग्न उद्धरण खतौनी के अनुसार, श्रेणी 6–1, 'अकृषक/जलमग्न भूमि' के शीर्षक के अन्तर्गत खाला के रूप में अंकित है एवं राजस्व प्राधिकारियों ने अपीलकर्ता/वादी को वादग्रस्त भूमि के सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने के आधार पर धारा–122बी 4एफ जंमीदारी विनाश अधिनियम का लाभ नही प्रदान किया गया है। यहां तक कि उसके विरूद्ध धारा–122बी जं0वि0अधि0 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही भी की गई है एवं यह वाद उक्त बेदखली की कार्यवाही के उपरान्त प्रस्तुत किया गया है यह सम्भव है कि आलोच्य वाद धारा–122बी के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही से बचने के लिए

पश्चात कल्पना के आधार पर किया गया हो क्योंकि एसके कथित रूप से वर्ष 1995 से पूर्व से विवादित भूमि पर काबिज होने के उपरान्त उसके द्वारा धारा–122बी 4एफ के अधीन अपने अधिकारों हेतु चारा जोई क्यों नही की गई, यह स्पष्ट नही जबकि वह इस हेतु एतद्सम्बन्धी शासकीय आदेश के उपरान्त तत्काल आवेदन कर सकता था एवं उसका प्रार्थना पत्र सदभावी एवं वास्तविक होने की स्थिति में आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही से उसे आलोच्य वाद में याचित अनुतोष मिल सकता था खैर जो भी हो उसके द्वारा आलोच्य वाद बेदखली की लटकती तलवार के उपरान्त ही प्रस्तुत किया गया एवं वाद वादगस्त भूमि के धारा–132 से आच्छादित होने के आधार पर ही अस्वीकृत किया गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने वादग्रस्त भूमि के सार्वजनिक उपयोग की भूमि न होने के सम्बन्ध में विद्वान आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के किसी अन्य प्रकरण में 'खाला' की भूमि को सार्वजनिक उपयोग की भूमि न माने जाने सम्बन्धी निषकर्ष एवं धारा–212 जं0वि0अधि0 का प्राविधान का सहारा लिया है। इस सम्बन्ध में खतौनी की प्रविष्टि निर्णायक है जिसमें वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित सम्पूर्ण खाते की भूमि का अकृषक भूमि–जलमग्न का शीर्षक दिया गया एवं धारा–132क जं0वि0अधि0 के अन्तर्गत जलमग्न भूमि को सार्वजनिक उपयोग की भूमि माना गया है जिसपर किसी प्रकार के भूमिधरी अधिकार नही प्राप्त हो सकते हैं। धारा–212 जं0वि0अधि0 08 अगस्त, 1916 अथवा उसके पश्चात किसी ऐसी भूमि जो अभिलिखित अथवा परम्परागत सार्वजनिक पशुचर भूमि , श्मशान या कब्रिस्तान, तालाब, रास्ता या खलिहान को किसी मध्यमवर्ती ने अपनी जोत में कर लिया हो या उसे किसी व्यक्ति को काश्तकारी या बागदारी में उठा लिया गया हो की बेदखली से सम्बन्ध रखती है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि को पूर्णतः परिभाषित नही करती है। वैसे भी 'खाला' श्रेणी सामान्य अर्थों में भूमि की वह श्रेणी है जिसमें पूरे वर्ष अथवा ऋतु विशेष में बड़ी अथवा छोटी जलधारा बहती है परन्तु मानसून या बरसात में वह कभी–कभी बाढ़ की स्थिति में पूर्णतः जलमग्न हो जाती है ऐसी भूमि पर सामान्य वर्षा होने अथवा सूखा पड़ने की स्थिति में यथास्थिति एक फसल अथवा दो फसल हो सकती है परन्तु किन्हीं वर्षों में दो फसल लेने का आशय उसका कृषि भूमि होना नही माना जा सकता है। जंहा तक विद्वान आयुक्त के विनिश्चयन का प्रश्न है ऐसा विनिश्चयन इस न्यायालय पर बाध्यकारी नही है। स्पष्ट है वादग्रस्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि हैं जिसपर भौमिक अधिकार यथायाचित नही प्रदान किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में दोंनो अधीनस्थ न्यायालयों का समवर्ती निष्कर्ष विधिसम्मत है।

आलोच्य वाद में एक महत्वपूर्ण बिन्दु वादी के वादग्रस्त भूमि पर अध्यासन सम्बन्धी है जिसके सम्बन्ध में दोंनो अधीनस्थ न्यायालयों ने यह निष्कर्ष अंकित किया है कि वादी/अपीलकर्ता का कथित अध्यासन 03 जून, 1995 को अथवा उससे पूर्व से होने के सम्बन्ध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नही है। अतः दोंनो न्यायालय ने उसका अध्यासन 03 जून, 1995 को अथवा उससे पूर्व से सिद्ध नही माना है। मैं द्वितीय अपील के स्तर पर

एतद्सम्बन्धी समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप की आवश्यकता नही मानता हूँ क्योंकि इस निष्कर्ष के सम्बन्ध में कोई भी विपर्यस्थता स्पष्ट नही होती है।

जंहा तक उत्तर प्रदेश द्वारा अंगीकृत विधायी संशोधन उत्तरांचल/उत्तराखण्ड पर उसके गठन के दो वर्ष तक लागू होने का प्रश्न है ऐसा होने की स्थिति में भी वादी/अपीलकर्ता को याचित अनुतोष नही मिल सकता है क्योंकि प्रथमतः, क्या 2002 तक धारा–122बी 4एफ के लाभार्थ नियत तिथि परिवर्तित हो गई थी स्पष्ट नही है एवं, द्वितीयतः वादग्रस्त भूमि के सार्वजनिक भूमि के उपयोग होने के दृष्टिगत नियत तिथि के विस्तारित होने की स्थिति में भी वादी/अपीलकर्ता का दावा(claim) विधितः पोषणीय नही होता है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विषलेशण की दृष्टिगत इस द्वितीय अपील के निस्तारणार्थ सारभूत विधिक प्रश्नों में से प्रश्न–1 को इस आशय से कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि धारा–132 जं0वि0अधि0 से आच्छादित है, प्रश्न–2 नकारात्मक, प्रश्न–3 इस आशय से कि वर्णित अवधि के संशोधन नवसृजित राज्य पर लागू होता भी तो भी वादग्रस्त भूमि के सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने के दृष्टिगत वादी/अपीलकर्ता को ऐसे संशोधन का कोई लाभ नही मिलता है, प्रश्न–4 सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने के दृष्टिगत जिलाधिकारी का वर्णित निष्कर्ष का कोई प्रभाव वाद के परिणाम पर नही पड़ता है एवं प्रश्न–5 नकारात्मक निस्तारित किये जाते है। तद्नुसार यह द्वितीय अपील अस्वीकृत होने योग्य है।

आदेश

द्वितीय अपील अस्वीकृत की जाती है। इस न्यायालय की पत्रावली संचित तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियाँ वापस की जाएं।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक **05–09–2016** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)